"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 मई 2011—वैशाख 17, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2011

अधिसूचना

क्रमांक 3332/डी-1187/21-ब/छ.ग./2011.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं के अनुसूची में, कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा स्थान (2)	सिविल जिले का नाम (3)
1.	श्री ए. के. बेक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा)	दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा)
2.	श्रीमती नीता यादव, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर.	बिलासपुर

(1)	(2)	(3)
3.	श्री आर. के. अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, दुर्ग	दुर्ग

Raipur, the 7th May 2011

NOTIFICATION

No. 3332/D-1187/XXI-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to amend this department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2), namely :—

AMENDMENT

In the schedule of the said Notification, Officers mentioned in column (2) shall be posted Special Judge, at the places mentioned in column (3) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Officer, Designation and Place of Posting (2)	Name of the District (3)
1.	Shri A. K. Beck, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara)	Dakshin Bastar (Dantewara)
2.	Smt. Neeta Yadav, II Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	Bilaspur
3.	Shri R. K. Agrawal, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Durg.	Durg

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.